रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939**
No. 287]	**NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939**

भारतीय रिज़र्व बैंक

(केंद्रीय कार्यालय)

(मौद्रिक नीति विभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 14 जुलाई, 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति तथा मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियमन, 2016

सं. एम. पी. डी. पी. एम. डी. सं 17/02. 02. 015/17-18.— 2016 में संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 (1934 का 2), के खंड 58 के अनुच्छेद (क्यू ए), (क्यू बी), (क्यू सी), (क्यू डी) तथा (क्यू ई) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

मौद्रिक नीति प्रक्रिया

1. (i) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति तथा मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियमन, 2016 के नाम से जाना जाएगा।
   (ii) ये विनियम 1 अगस्त 2016 से लागू होंगे ।

व्याख्याएँ

2. **इन विनियमों में :**
   ए) "अधिनियम" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 (1934 के 2) अभिप्रेरित है।
   बी) " बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेरित है;
   सी) "बोर्ड" से भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड अभिप्रेरित है;

डी) “समिति” से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) के खंड 45Z बी के उप-खंड 1 के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) अभिप्रेरित है;

ई) “सदस्यों'' से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 के 2) के खंड 45 ज़ेड बी के उप-खंड 2 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों से अभिप्रेरित है।

एफ़) “सचिव'' से मौद्रिक नीति समिति के सचिव अभिप्रेरित है;

जी) “मौद्रिक नीति रिपोर्ट'' से अधिनियम के खंड 45ज़ेड एम में उल्लिखित मौद्रिक नीति रिपोर्ट अभिप्रेरित है;

एच) इसमें उपयोग की गई अन्य अभिव्यक्तियाँ जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं किंतु अधिनियम में उनका उपयोग है,वे अधिनियम में उनको दिये गए उन्हीं अर्थों से अभिप्रेरित है।

सदस्यों को देय पारिश्रमिक तथा अन्य भत्ते

3. (i) इस अधिनियम के खंड 45 ज़ेड बी के उप खंड (2) के अनुच्छेद (डी) के तहत नियुक्त किए गए सदस्यों को अधिनियम के खंड 45 ज़ेडआई के उप खंड (1) के तहत आयोजित की जाने वाली समिति की प्रत्येक बैठक के लिए समय देने और उसके लिए कार्य करने के लिए रु.1,50,000 (रु.एक लाख पचास हज़ार) का एक पारिश्रमिक दिया जाएगा। उनकी हवाई यात्रा, स्थानीय परिवहन तथा आवास से संबन्धित अन्य व्ययों के बारे में समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(ii) एमपीसी के सचिव इस अधिनियम के खंड 45 ज़ेड आई के उप खंड (1) के तहत आयोजित की जाने वाली प्रत्येक एमपीसी बैठक के दौरान इस अधिनियम के खंड 45 ज़ेड बी के उप खंड (2) के अनुच्छेद (डी) के तहत नियुक्त किए गए सदस्यों को लोजीस्टिक सहायता देने के लिए जरूरी व्यवस्था करेंगे ।

कार्य तथा व्यवहार जिनके तहत सचिव कार्य करेंगे

4. (i) मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के प्रमुख इस समिति के सचिव होंगे। उनकी अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नामित किए गए प्रतिनिधि जो एमपीडी में वरिष्ठ अधिकारी के पद से नीचे स्तर के नहीं होंगे, सचिव की भूमिका निभाएंगे।

(ii) **<u>सचिव तथा सचिवालय की भूमिका तथा कार्य</u>**

ए) एमपीसी की सभी बैठकों के सुचारु संचालन में एमपीसी को सहयोग देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नीचे दिये गए विनियम 5 (i) में दी गई प्रक्रियाओं का उचित पालन किया जाता है;

बी) प्रत्येक एमपीसी बैठक के लिए कार्यसूची बनाने में सहयोग देंगे;

सी) यह सुनिश्चित करेंगे कि एमपीसी बैठकों तथा उसके सदस्यों के लिए विश्लेषण तथा डाटा अपेक्षाएँ बैंक के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्टाफ को शामिल करते हुए प्रभावी समन्वय पद्धति से पूर्ण की जाती हैं ;

डी) वे निम्नलिखित तैयार करेंगे (i) एमपीसी द्वारा वोटिंग के लिए नीति प्रस्ताव का मसौदा (संकल्प तथा वक्तव्य); (ii) एमपीसी बैठकों के कार्यवृत/कार्यवाही; तथा (iii) नीति संकल्प तथा वक्तव्य के साथ-साथ कार्यवृत को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एमपीसी का अनुमोदन लेने के बाद जारी किया जाना सुनिश्चित करना ;

ई) सभी बैठकों के कार्यवृत का अभिलेख रखेंगे और परिरक्षण करेंगे ; तथा

एफ़) दस्तावेजों के प्रकाशन का उत्तरदायित्व निभाएंगे।

प्रक्रिया, संचालन, गोपनीयता संहिता तथा अन्य मामले

5. (i) **<u>मौद्रिक नीति प्रक्रिया</u>**

ए) पूरे वित्त वर्ष के लिए मौद्रिक नीति वोटिंग/निर्णयगत बैठकों का कार्यक्रम पहले से ही घोषित किया जाएगा .

बी) सामान्य रूप से समिति की बैठकों के लिए सदस्यों को कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित किया जाएगा। यदि आपात बैठक आयोजित करना आवश्यक हो तो, प्रत्येक सदस्य को 24 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, इससे भी कम समय की सूचना देनी हो तो प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था की जाए।

(सी) मौद्रिक नीति बैठकों की अवधि के बारे में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वित्तीय बाज़ारों के कार्य तथा समय को ध्यान में रखते हुए एमपीसी बैठकों के समाप्त होने के बाद नीति संकल्प सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा ।

(डी) संकल्प में नीतिगत रेपो दर शामिल होगा तथा अध्यक्ष के विवेकानुसार,कोई अन्य मौद्रिक नीति उपाय जिसमें मौद्रिक नीति की संचालन रूपरेखा से संबंधित उपाय भी शामिल हो सकते हैं।

(ई) निर्णय लेने वाली बैठक/कों के कार्यवृत में; (ए) एमपीसी द्वारा अपनाया गया संकल्प; (बी) संकल्प पर प्रत्येक सदस्य की वोटिंग; तथा (सी) अधिनियम के खंड 45 ज़ेड एल के प्रावधानों के अनुरूप वोटिंग के औचित्य के साथ प्रत्येक सदस्य के लिखित सार वक्तव्य शामिल होंगे। नीति बनाए जाने के दिनांक से 14वें दिन को 5 बजे शाम को कार्यवृत जारी किए जाएंगे (या उस दिन मुंबई में अवकाश होने की दशा में सबसे पहले अगले कार्य दिवस को)

(ii) **<u>एमपीसी सदस्यों के लिए आचार-संहिता</u>**

इस संहिता में एमपीसी के सदस्यों को उनके नैतिक आचरण पर विस्तृत दिशानिर्देश दिये गए हैं जिससे बैंक तथा उसकी नीतियों में जनता का विश्वास स्थापित करने में सहयोग मिलेगा।

- एमपीसी के सदस्य अपने कार्यालय की सत्यनिष्ठा,गरिमा तथा प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवहार करेंगे

- एमपीसी सदस्य अधिनियम में दिए गए मौद्रिक नीति के उद्देश्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुसार कार्य करेंगे, तथा वोटिंग से पहले एमपीसी बैठकों में अपने विचारों को स्वतन्त्रता के साथ खुल कर व्यक्त करेंगे

- सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि एमपीसी के नीति निर्णयों को सार्वजनिक करने से पहले उसे अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा, तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखने के संबंध में वे पर्याप्त सावधानी बरतेंगे ।

- लाभ कमाने वाले संगठनों के साथ विमर्श करते समय या व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेते हुए, वे यह ध्यान रखेंगे और सावधानी बरतेंगे कि व्यक्तिगत तथा जन हित में किसी टकराव की गुंजाइश न बने।

बाह्य संप्रेषण नीति

- सदस्य वोटिंग/निर्णय दिवस से पहले सात दिनों के लिए तथा नीति के घोषित होने के बाद सात दिनों के लिए किसी से इस संबंध में बात नहीं करेंगे या बंदिश अवधि में रहेंगे। इस अवधि के दौरान, वे मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों पर, एमपीसी की सम्प्रेषण संरचना के माध्यम के अलावा, कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।

- सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मौन या बंदिश अवधि के पहले या बाद व्यक्त किया गया कोई भी निजी विचार केवल उन्हीं का हो, तथा वे मौद्रिक नीति विचार विमर्शों के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय सूचना को समिति के बाहर उजागर न करें।

- बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों (मानव संसाधनों सहित) का सदस्य अपने व्यक्तिगत/वाणिज्यिक लाभ के लिए उपयोग नहीं करेंगे।

आंतरिक संप्रेषण तथा सूचना प्राप्त करना

अधिनियम की धारा 45 ज़ेड एच की उप-धारा (1) तथा उप धारा (2) के तहत बैंक से सूचना प्राप्ति के लिए सदस्य केवल सचिव को ही अनुरोध करेंगे। बैंक के स्टाफ के साथ सदस्यों के सभी आंतरिक संप्रेषण केवल सचिव के माध्यम से किए जाएंगे।

व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन के लिए संहिता

नियुक्ति के बाद सदस्य समिति के सचिव द्वारा दिये एक दस्तावेज़ में अपनी आस्तियों तथा देयताओं को प्रकट करेंगे। यह सूचना हर वर्ष एक बार अद्यतन की जाएगी।

उच्च नैतिक मानकों के लिए संहिता

सदस्य सार्वजनिक कार्यालय के अनुरूप ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखेंगे।

गोपनीयता की शपथ

एमपीसी की पहली औपचारिक बैठक से पहले, प्रत्येक नए सदस्य को अनुसूची में दिये प्रपत्र में एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर वचन देना होगा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के दौरान अपने संज्ञान में आने वाले किसी भी गैर-सार्वजनिक मामलों को तब तक प्रकट नहीं करेंगे, जब तक बोर्ड या कानून द्वारा ऐसा करना अपेक्षित या प्राधिकृत न हो।

अन्य

समिति के यह ध्यान में आने पर कि अधिनियम के खंड 45 ज़ेड सी या खंड 45 ज़ेड ई में निर्दिष्ट किसी शर्त के अनुसार सदस्य अपात्र है तो समिति के अध्यक्ष तुरंत केंद्र सरकार को इसकी सूचना देंगे।

प्रत्येक सदस्य को उनके दिए गए कार्यों के निर्वहन में हुए सभी नुक़सानों तथा किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति की जाएगी,जिसमें स्वैच्छिक या उनकी स्वयं की गलती से हुआ नुकसान शामिल नहीं है।

दस्तावेज़ 1

(बैंक, अधिनियम के खंड 45 ज़ेड जे में की गई अपेक्षा के अनुसार , समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों के दस्तावेज़ प्रकाशित करेगा)

6. (i) मौद्रिक नीति के संचालन की प्रक्रिया – या मौद्रिक नीति निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए रूपरेखा – की छमाही मौद्रिक नीति रिपोर्टों (एमपीआर) में समीक्षा की जाएगी तथा इसे प्रतिपादित किया जाएगा।

नीति वक्तव्य में रिपो दर से इतर लिखतों के संबंध में मौद्रिक नीति में किए गए परिवर्तनों और एमपीसी द्वारा निर्धारित परिचालन प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दिया जाएगा और उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति दी जाएगी जिसमें कार्यान्वयन संबंधी विवरण होगा ।

दस्तावेज़ (2)

(खंड 45 ज़ेड एम के उप-खंड (2) के तहत जारी किए जाने वाली मौद्रिक नीति रिपोर्ट का स्वरूप तथा विषय-वस्तु)

(ii) बैंक हर छ: महीने में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रकाशित करेगा।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

(ए)पिछले छ: महीनों में मुद्रास्फीति गतिशीलता का स्पष्टीकरण तथा निकट भविष्य में मुद्रास्फीति दृष्टिकोण ;

(बी) मुद्रास्फीति तथा विकास का पूर्वानुमान और जोखिमों का संतुलन;

(सी) अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन, जिसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाज़ार तथा स्थायित्व, राजकोषीय स्थिति तथा बाह्य क्षेत्र शामिल होंगे, जिनके द्वारा मौद्रिक नीति निर्णय प्रभावित हो सकता हैं।

(डी) मौद्रिक नीति की कार्य प्रणाली की एक अद्यतन की गई समीक्षा; तथा

(ई) पूर्वानुमान निष्पादन का एक आकलन

एमपीआर का स्वरूप

संबंधित नीति वक्तव्य के जारी होने के 24 घंटों के भीतर एमपीआर को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

मुद्रास्फीति लक्ष्य पूरा न करने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

7. समिति के सचिव सामान्य नीति प्रक्रिया के भाग के रूप में अधिनियम के खंड 45 ज़ेड एन के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के मसौदे के संबंध में चर्चा करेंगे । बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के लक्ष्य को पूरा न कर पाने के दिनांक से एक माह के भीतर, उक्त रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेजनी होगी। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने की स्थिति में बैंक केंद्र सरकार के विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

अनुसूची [विनियम (5(ii))के अनुसार]

कर्तव्यनिष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा का प्रपत्र

मैं, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का एक सदस्य बनने पर, पूरी दृढ़ता एवं ईमानदारी के साथ यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा/करूंगी तथा पद का मान रखूँगा/रखूंगी तथा गोपनीयता का पालन करूंगा/करूंगी तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी मामले या किसी सूचना को, जो मेरे कर्तव्य पालन के दौरान मेरे संज्ञान में आती है, को तब तक किसी अन्य को प्रकट नहीं करूंगा/करूंगी जब तक कि इन विनियमों/ बैंक के केंद्रीय बोर्ड या कानून द्वारा ऐसा करना अपेक्षित या प्राधिकृत न हो।

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

एम. डी. पात्र, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन–III/4/असा./150/17]

RESERVE BANK OF INDIA

(CENTRAL OFFICE)

(Monetary Policy Department)

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th July, 2017

Reserve Bank of India Monetary Policy Committee and Monetary Policy Process Regulations, 2016

No. M.P.D.P.M.D.No. 17/02.02.015/17-18.—In exercise of the powers conferred by clause (qa), (qb), (qc), (qd) and (qe) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) amended in 2016, the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations:—

Monetary Policy Process

1. (i) These regulations shall be called as the Reserve Bank of India Monetary Policy Committee and Monetary Policy Process Regulations, 2016.
   (ii) They shall come into force effective from 1st August, 2016.

Interpretations

2. **In these regulations:**
   a) "the Act" means the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
   b) "the Bank" means the Reserve Bank of India;
   c) "the Board" means the Central Board of the Reserve Bank of India;
   d) "Committee" means the Monetary Policy Committee (MPC) constituted under sub-section 1 of Section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
   e) "Members" means members of the Monetary Policy Committee appointed by the Central Government under sub-section (2) of Section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
   f) "Secretary" means the secretary to the Monetary Policy Committee;
   g) "Monetary Policy Report" means the Monetary Policy Report as mentioned in

Section 45ZM of the Act;

h) Other expressions used but not defined in these Regulations and used in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Remuneration and other allowances payable to the members.

3. (i) Members appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 45ZB of the Act shall receive a remuneration of Rs 1,50,000 (rupees one lakh fifty thousand) for devoting time and work for each meeting of the Committee to be conducted under sub-section (1) of section 45ZI of the Act which they attend and other expenses relating to air travel, local transportation and accommodation as may be decided by the Central Board from time to time.

(ii) The Secretary to the MPC shall make arrangements to provide logistical support to members appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 45ZB of the Act during each MPC meeting to be conducted under sub-section (1) of section 45ZI of the Act.

Functions and manner in which the Secretary shall perform the functions

4. (i) The head of the Monetary Policy Department (MPD) shall be the Secretary to the committee. In his/her absence, the representative nominated by him/her not below the rank of senior officer in MPD shall function as the Secretary.

(ii) **Role and Functions of the Secretary and Secretariat**

a) Assist the MPC in smooth conduct of all its meetings, and ensure that the processes set out at regulation 5(i) below are followed in letter and spirit;
b) Assist in preparing the agenda for every MPC meeting;
c) Ensure that analytical and data requirements for MPC meetings and of members are met through an effective coordination mechanism involving staff across various departments of the Bank;
d) Prepare (i) draft policy proposal (resolution and statement) for voting by the MPC; (ii) minutes/proceedings of MPC meetings; and (iii) ensure release of policy resolution and statement as well as minutes after the MPC's approval in accordance with the schedule;
e) Record and preserve minutes of all meetings; and
f) Assume responsibility for publication of documents.

Procedure, conduct, code of confidentiality and other matters

5. (i) **The Monetary Policy Process**

(a) The schedule of monetary policy voting/decision meetings for the entire fiscal year shall be announced in advance.

(b) Ordinarily not less than fifteen days notice shall be given to members for meetings of the Committee. Should it be found necessary to convene an emergency meeting, 24 hours' notice shall be given to every member to enable him/her to attend, with technology-enabled arrangements for even shorter notice period for meetings.

(c) The duration of monetary policy meetings shall be such as decided by the Committee. The policy resolution will be publicly released after the conclusion of the MPC meeting keeping in view the functioning and timing of financial markets.

(d) The resolution shall include the policy repo rate, and at the discretion of the Chairperson, any other monetary policy measures including those relating to the operating framework of monetary policy.

(e) Minutes of the decision making meeting(s) shall include: (a) the resolution adopted by the MPC; (b) the voting of each member on the resolution; and (c) short written statements of individual members justifying the vote, consistent with the provisions of Section 45ZL of the Act. Minutes shall be released at 5 pm on the 14th day from the date of the policy day (or next earliest working day, if a holiday in Mumbai).

(ii) **Code of Conduct for MPC Members**

This code aims at providing broad guidance to members of the MPC on their ethical conduct, which shall help enhance public trust and confidence in the Bank and its policies.

- MPC members shall act in a manner consistent with the integrity, dignity and reputation of their office.
- MPC members shall be guided by the objectives of monetary policy set out in the Act and the inflation target set by the Central Government, and shall independently and candidly express their views in the MPC meetings before voting.
- Members shall take adequate precaution to ensure utmost confidentiality of the MPC's policy decision before it is made public and preserve confidentiality about the decision making process.
- While interacting with profit-making organizations or making personal financial decisions, they shall be mindful of, and weigh carefully, any scope for conflict between personal interest and public interest.

External Communication Policy

- Members shall observe a silent or blackout period, starting seven days before the voting/decision day, and ending seven days after the day policy is announced. During this period, they will avoid public comment on issues related to monetary policy, other than through the MPC's communication framework.
- Members shall ensure that personal views expressed outside the silent or blackout period are attributable only to themselves, and that no confidential information accessed during the monetary policy deliberations is revealed outside the Committee.
- Members shall not use resources made available by the Bank (including human resources) for private/ commercial gain.

Internal Communication and Information Seeking

Members seeking information from the Bank under sub-section (1) and sub-section (2) of section 45ZH of the Act shall make requests to the Secretary only. All internal communication of members with the staff of the Bank shall be through the Secretary only.

Code for Personal Financial Transactions

After their appointment, members shall disclose their assets and liabilities in a document held by the Secretary of the Committee. This information shall be updated once every year.

Code for High Ethical Standards

Members shall maintain the highest standards of probity consistent with public office.

Oath of Secrecy

Before the first formal meeting of the MPC, every new member shall sign a declaration in the form set out in the Schedule pledging not to reveal any of the non-public matters which may come to his/her knowledge in the discharge of his/her duties, except when required or authorised to do so by the Board or by law.

Others

The Chairperson of the Committee shall forthwith inform the Central Government, if and when it comes to the notice of the Committee, that a member has become subject to any of the disqualifications specified in section 45ZC or section 45ZE of the Act.

Every member shall be indemnified by the Bank against all losses and expenses incurred in discharging assigned duties, except such as may happen from his/her own wilful act or default.

Document 1
(The Bank shall publish a Document explaining the steps to be taken by it to implement the decisions of the Committee as required in Section 45ZJ of the Act.)

6. (i) The operating procedure of monetary policy - or the framework to implement monetary policy decisions – shall be reviewed and explained in the bi-annual Monetary Policy Reports (MPRs).

Monetary policy changes involving instruments other than the repo rate and the operating procedure as decided by the MPC shall be explained in the policy statement, followed by a press release setting out details on implementation.

Document (2)

(The forms and contents of the Monetary Policy Report to be published under sub-section (2) of section 45ZM.)

(ii) The Bank shall publish the Monetary Policy Report (MPR) once in every six months.

The Monetary Policy Report shall contain the following:
(a) Explanation of inflation dynamics in the last six months and the near term inflation outlook;
(b) Projections of inflation and growth and the balance of risks;
(c) An assessment of the state of the economy, covering the real economy, financial markets and stability, fiscal situation, and the external sector, which may entail a bearing on monetary policy decisions;
(d) An updated review of the operating procedure of monetary policy; and
(e) An assessment of projection performance.

Form of the MPR

The MPR shall be released on the Bank website within 24 hours of the release of the relevant policy statement.

Process to be followed in the event of a failure to meet the inflation target

7. The Secretary to the Committee shall schedule a separate meeting as part of the normal policy process to discuss and draft the report to be sent to the Central Government under the provisions of Section 45ZN of the Act. The Report shall be sent to the Central Government within one month from the date on which the Bank has failed to meet the inflation target. The Bank shall send the report to the Central Government in the event of a failure to achieve the target as specified by Rules of the Central Government, in this regard.

THE SCHEDULE [vide Regulation 5(ii)]
FORM OF DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, on becoming a member of the Monetary Policy Committee (MPC), do solemnly and sincerely declare that I shall faithfully perform the duties to the best of my ability and that I will uphold the dignity of the position and that I will observe secrecy and will not directly or indirectly communicate or divulge any of the matters or any information which may come to my knowledge in the discharge of my duties, except when required or authorised to do so by these Regulations / Central Board of the Bank or by law.

(Signature)
Date:

M.D. PATRA, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./150/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.21 22:32:19 +05'30'